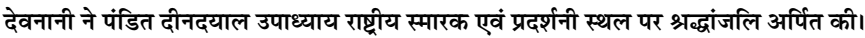


दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर 'एकात्म मानवदर्शन' पर व्याख्यान और रोजगार मेला आयोजित

■ वासुदेव देवनानी,
अरुण जैन, गोपाल
शर्मा सहित अनेक
गणमान्य जन
उपस्थित रहे



मुख्य वक्ता अरुण जैन ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सोच और संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने 'एकात्म मानववाद' केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय समाज के समग्र विकास का मार्ग है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संसंधालोक गुरुजी ने इसे परिपूर्ण मानव का दर्शन कहा, वहीं दत्तोपत

ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का स्वदेशी, रामराज्य और अंत्योदय का दर्शन आज भी भारत को

जानकारा दा, वहाँ काषाध्यक्ष गजेंद्र ज्ञानपुरिया ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अश्विन

इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, अनिल ओक, मूलचंद, क्षेत्र प्रसंचालक रमेशचंद्र अग्रवाल, संसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अनेक गणमान्यजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

■ राजस्थान पर्यटन
आयुक्त रुक्मणी
रियाइ और टोक्यो
स्थित भारतीय
दूतावास की
पर्यावरण एवं
वाणिज्य मंत्री
देबजानी चक्रवर्ती ने
जापान पर्यटन
एक्सपो आइची में
किया राजस्थान
मंडप का उद्घाटन

जापानी ब्लागिर मधु राजस्थान
सदस्यों के साथ राजस्थान स्टैंड
उपस्थित रही जहां उनकी लोक प्रस्तु
संपन्न हुई है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बाजी जोषि
ने बताया कि सीएसटी 21 ने
भांकरोटा थाना इलाके में ऑपरेशन
नवीन स्वीप के तहत कारवाही करते हुए
प्रतिवादी नशीली दवाइयां और
टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सफाई
कर करवाले गिरोह के शातिर बदमाश
संपत सिंह शेखावत निवासी
जयसिंहपुर, अंकुश अग्रवाल और उत्तर
प्रदेश के गाजीपुर निवासी अभिराज सिंह
को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके
पास से प्रतिवादी नशीली दवा
अम्लीजोलम और ट्रामाडोल के कुल
37 हजार 410 कैप्सूल और टैबलेट्स
बयामद किए हैं।

विभागीय कार्रवाई को जाए। अदालत कहा है कि यदि इन अफसरों व तबादला भी हो चुका है तो डीएलए सचिव आदेश की पालना सुनिश्चित कर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ यह आदेश जितेन्द्र कुमार साधवानी व जनहित याचिका पर सुनवाई करते ह

की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाते। पूरी चारदीवारी के भीतर अवैध इमारतें बन गई हैं। अवैध बिल्डिंग पूरे शहर में समाज के लिए खतरा बन गई है। इसने चारदीवारी के विरासत मूल्यों को बर्बाद कर दिया है। वहीं निगम की कार्यप्रणाली से अन्य लोग भी अवैध

सुनवाई के दौरान याचनाकर्ता को अधिवक्ता का संचय जोशी ने कहा कि शिकायत के परकोटे के भीतर युद्ध स्तर पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। भवन मालिकों ने तो नगर निगम से निर्माण की स्वीकृती नहीं है और ना ही नशे पास कराए। वहीं कई लोगों ने अपने रिहायश मकानों की तोड़कर बिना पार्किंग छे बहामंजिला व्यवसायिक निर्माण व लुट रहे। इस संबंध में निगम में कई बिशकायत की, लेकिन निगम ने उन्हें हद माह के अंतराल में सिर्फ नोटिस ज किहा जिसके चलते भवन मालिक निर्माण पूरा कर लिया। वहीं निगम और निर्माण पेश कर माना गया। अवैध निर्माण करने वालों को नोटि जारी किए गए थे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खराब कार की मार्केटिंग करने से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही अदालत ने कार कंपनी और शिकायतकर्ता को अपना विवाद

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का विवाद अपनी जगह है, लेकिन उसने कंपनी के ब्रांड एंसेसडर के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है? कंपनी के साथ मिलकर सहमति से मामला सुलझाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राजा बाजवा और माधव मिश्र ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कारागार खरीदने के बाद उसे तीन साल तक करीब 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई।

इसके बावजूद भरतपुर की निचली न्यायाधीश न्यायमाला देवी ने बिना अधिक मस्तिष्क का उपयोग किए फआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज

जिसमें कंपनी का एमडी अनुराग किम, निदेशक और सीओ तोरण गांधी, शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित अन्यको आरोपी बताया हुआ था। लयाथा 97 हजार रुपय में एक कंपनी को कार खरीदी थी। हाईवे पर कार चलाते हुए के दौरान ओवरटेक करते समय कार फ्लिकअप नहीं ली और उसका सिस्टम आरपीएम ही बढ़ता है। कार में ओडोमीटर में माल फेकशन लिखा आता है। कार साइन नज़र आता है। वहीं ये चलाने पर कार वाइब्रेट होने लगती है। एफआरओ में यह भी कहा गया कि जब शिकायत दी गई तो कार एंजिन संचालक ने इसे कार निर्माण में दोष बताया। अपराध में कंपनी की प्रतिनिधियों के साथ दोनों फिल्ड कलाकार भी बराबर के आरोपी हैं।

अनुप्रयुक्त विज्ञान के विविध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

जयपुर। समेतलत नदौनं डोड डे
दुनिता थर से 150 से अधिक
समेलने के भाग लिया, जिनमें शोध
विश्वान, शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर
 शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में
बनारसी चक्रवर्ती (कुलापति), यूईएमपी
जयपुर, प्रो. (डॉ.) विवेकजय पट्टजी
(कुलापति, यूईएमपी जयपुर),
सत्यजीत चक्रवर्ती (प्रो.-बाइएस
चौंसलर, यूईएमपी जयपुर), प्रो. (डॉ.)
प्रदीप कुमार शर्मा (रजिस्ट्रार, यूईएमपी
जयपुर), के साथ साथ यूईएमपी जयपुर
के एसोसिएट डॉटर देश के विभिन्न हिस्सों
से अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति
उपस्थित थे।

समापन सत्र 21 सितंबर 2025
को शाम 5:00 बजे आयोजित किया
गया, जहाँ संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा
और डॉ. तर्पण शर्मा ने सम्मेलन पर एक
व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिभागियों
ने उपयोगी सत्रों और मूल्यवान
नेटवर्किंग अवसरों के लिए अपनी
सराहना व्यक्त की। कार्यक्रम का
समापन संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा
द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के
सह हुआ।

थानाधिकारी प्रकाश राय विवरण
ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल के प्रधान
बंटी सेजवाल ने मामला दर्ज कराया है।
है कि जेल के वार्ड नंबर-5 के बंदी
नंबर-3 में विचारार्थी बंदी विष्णु
बं भी और उसके साथ ही बंकेर में बं
रोहित व रामकेश भी है। जहां बुध
देर शाम को बंदी विष्णु और रोहित व
अपस में किसी बात पर कहासुनी
गई थी। कहासुनी के बाद झगड़ा मारपीत
तक पहुंच गया। बंदी रोहित ने अप
साथी रामकेश के साथ मिलकर बं
विष्णु पर हमला कर दिया। जहां गु
में स्टील मग से वार कर विष्णु का स
फोड़ दिया।

जयपुर। वार्ड ३१ के लोकप्रिय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा अथक प्रयासों से नगर निगम से लगभग २६ लाख रुपए स्वीकृत करवा के वार्ड ३१ में भीमावत अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, पीसीसी महामंत्री विक्रम सिंह शेखावत, पूर्व पीसीसी महामंत्री गिरांजना खूवं, जगद्वीश चित्र कल्याण बोर्ड मंजू शर्मा, पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह खेड़ा, उग्रदश्या शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र पाल सिंह जादौन, शहर उपाध्यक्ष बॉबद नसरीन बानो, रैपर समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जादौन ब्लॉक अध्यक्ष रेगुल समाज के कमलेश कुमार व उनकी कार्यकारिणी, जस्टिस कोरिसे ने उद्घाटन शर्मा लक्ष्मण सिंह कैलाश गुरुजी रामकुमार शर्मा, ऑर्कार मल, देवीलाल वाला, सहित अनेक पार्षद प्रत्याशी वार्ड अध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संगठन महामंत्री मनोज अमन ने बताया कि आये हुए सभी अतिथियों ने पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की पूर्ण भरि प्रशंसा की और क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि भविष्य में साथ इन्हें पुनः जितकर नगर निगम में भेजें जिससे आपके क्षेत्र का आवश्यक विकास हो सके।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित
कर दी श्रद्धांजलि

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अनसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भाषण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकुल पावीक, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, भाजपा प्रवक्ता अर्पण सिंह, प्रदेश महिला संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकलव्य मानववाक्य का दर्शन और अंत्योदय का विचार सदैव भारत के विकास पथ को दिशा देता रहेगा। उनका विचार था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उथान ही वास्तविक दिगमार्ग है। उनके सिद्धांत आज भी सरकार की समावेशी विकास की नीति में पूर्ण रूप से समाहित है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित किए।

पटवारी व दलाल को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। प्रग्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टोंक टीम ने कारंबाई करते हुएकार्पायवास तहसील गद्दी जिला के टोंक पत्तरी पंचोत्तर बैरवा और दलाल मोहम्मद को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रग्राचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस मामलादेवका किम्ता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी टीम टोंक को परिवारीदी ने शिकायत दी कि उसके पुत्री-पुत्रो के नाम से खरीदी भूमि का नामांतरण खोलने की एखज में आरोपित पत्तरी नरेंद्र बैरवा तीस हजार रुपये की रिश्वत मांग की जा रही है। जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। जहां आरोपित पत्तरी ने तीस हजार रुपये की रिश्वत मांग की। जिस पर एसीबी टोंक टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झारवा माल ने ट्रेप की कारंबाई को अंजाम दिया ट्रेप के दौरान पत्तरी ने अपनी उपस्थिति में अपने परिचित मोहम्मद नसीम (दलाल) को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत परिवारी दी है दिहाई गद्दी। इस दौरान एसीबी ने कारंबाई करते हुए पत्तरी और दलाल को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया।

मिलेड्स एवं फूड फोर्टिफिकेशन का एकीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

अपेक्षाओं एवं व्यवहारकर्ताओं को एक-सा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में विभिन्न विभाग एवं चिकित्सीय संस्थानों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति हीनदेशक, समर्पित बाल विकास विभाग एवं वासुदेव मालावत ने अपने मते अनाज खाने वाला प्रेश है।

हमारे यहां ज्वार, बाजरा दैनिक रूप से खाने वाले अन्न हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में खान-पान में बदलाव के कारण हम हमारे पारम्परिक मोनोफ़ीड अनाजों के खान-पान से दूर हुए हैं। यही हम पुनः राजस्थान के पारम्परिक भोजन पदार्थों का सेवन करें तो ज्यादा बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में गुणवत्तापूर्ण भोजन व

अत्यधिक महत्व है। वासुदेव माल ने कहा कि बच्चों में कुपोषण, टिशन आदि एक बड़ी समस्या है। राजस्थान बच्चों उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण अनुकूल ही पोषण आहार दिया जा आज के समय की जरूरत है। राज सरकार की ओर से आंगनबाड़ियों बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गरम दिया जा रहा है।

नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण को मौजूदा वन्यजीवों पर परिवर्तन करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई भी इको सेंसिटिव जोन और वर्णित क्षेत्र भी शामिल नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पंचायत मंत्रालय, राजस्थान के मुख्य सचिव, औसंप वन, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और पीसीसीएफक को सविधान अन्वय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने मामले में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को शपथ पत्र भेज कर करने के आदेश देते हुए पीसीसीएफक का हलफनामा भी मांगा है।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव प्रोहिति की खंडपीठ ने यह आदेश नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं वन्योपसमिति की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

ने अदालत को बताया कि एनजीटी के 16 दिसंबर 2024 के आदेश की आड़ में नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का संशोधित नक्शा तैयार किया जा रहा है।

जिसमें मिलीभगत कर वर्णित क्षेत्र शामिल होने वाले गांवों की भूमि शामिल नहीं किया गया है।

इस कार्रवाई में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। इस दौरान राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों बिना ही अभयारण्य की सीमाओं बदलाव किया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि नहराद्वय अभयारण्य की सीमा चल रही गैर वानिकी गतिविधियों अं व्यावसायिक गतिविधियों को फायदे पहुंचाने के लिए वन विभाग की ओर यह कार्रवाई की जा रही है। याचिका यह भी कहा गया कि अभयारण्य व सीमाओं में संशोधन की कार्रवाई अभयारण्य को नुकसान हो रहा है अं ईको सेंसिटिव ज़ोन की प्रभावित हो रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं बदलवाने करने पर रोक लगाते हैं संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है और केन्द्र व राज्य सरकार के अफसरों से शपथ पत्र पर लेने को कहा है।